अपील सूचना अधिकार संख्या 75/2019 (RCMS 2019/00209) श्री दिलीप सिनसिनवार, शॉप नम्बर 6, शापिंग सेन्टर, फ्लोरेसेन्ट स्कूल के पास, सेक्टर 26 प्रताप नगर,जयपुर बनाम तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर

18.11.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दिलीप सिनसिनवार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार,(राजस्व), श्रीगांगनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके 04 बिन्दुओं सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने संबंधित के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही कर सूचना प्रदान करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दिलीप सिसिनवार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2019 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर (राजस्व) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. आपके जिले की भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है।
2. जिले के कुल क्षेत्रफल में सरकारी भूमि कितनी है, उक्त भूमि का वर्गीकरण है तो उसकी भी सूचना क्षेत्रवार उपलब्ध करवाये।
3. कुल क्षेत्रफल में गैर सरकारी भूमि कितनी है यदि वर्गीकरण है कि किस किस प्रकार से दिया गया है, उसका भी उल्लेख करें।
4. कुल सरकारी भूमि में आज दिनांक 08.07.2019 को ऐसी भूमि कितनी ळै जो सरकार के कब्जे में नहीं है, कारण सहित खसरा नम्बर भी उपलब्ध करवाये।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में **तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक भू.अ./2019/3846 दिनांक 22.08.019 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा चाही गई सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार से है :

बिन्दु संख्या	चाही गई सूचना	जवाब
2	जिले के कुल क्षेत्रफल में सरकारी भूमि कितनी है? उक्त भूमि का वर्गीकरण है तो उसकी सूचना क्षेत्रवार उपलब्ध करवाये।	आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक है जो सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
3	कुल क्षेत्रफल भूमि में गैर सरकारी सरकारी भूमि कितनी है यदि वर्गीकरण है कि किस किस प्रकार से दिया गया है, उसका भी उल्लेख करें।	आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक है जो सूचना के अधिकार में देय नहीं है।
4	कुल सरकारी भूमि में आज दिनांक 08.07.2019 को ऐसी भूमि कितनी ळै जो सरकार के कब्जे में नहीं है, कारण सहित खसरा नम्बर भी उपलब्ध करवाये।	आपके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नवाचक है जो सूचना के अधिकार में देय नहीं है।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
श्रीगंगानगर(राज.)

चूंकि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई उक्त सूचनाऐ प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे **एवं भू–अभिलेख शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि` बिन्दु संख्या 01 की सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अगर देय हो तो अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जावे। अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर